

District Registry Office, Gaya

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 896

RTPS No.:
030119351002100941

चूंकि श्री PRAMOD YADAV ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवमारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित संपत्ति जो प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवमारों के बारे में वही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01/01/2008 से ता० 13/03/2021 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवमारों का पता चला है-

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौज/वार्ड नं०	खाता	खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ से	पृष्ठ तक	वर्ष
1	Gaya Sadar	Chandauti	Kandi nawada	402	1229	24.97 decimal	Agreement of agre	12400000	146	128	141	2020
2	Gaya Sadar	Chandauti 189	Kandi nawada	402	1229	24.97 decimal		0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवमारों को छोड़, उक्त संपत्ति जो प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

नाम - Lalit Prasad
UDC

26-03-2021

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा की गयी :-

नाम - Rakesh Kumar Sinha
LDC

कार्यालय -

District Registry
Office, Gaya

तारीख -

26/03/2021

टिप्पणी- 26-03-2021

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
26-03-2021

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बाँहेयाँ और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियों देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवमारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वह और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेगी।

3. किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं होगी।

✓ और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी नहीं की है इसलिए उसके द्वारा दिये गये ऐसे संव्यवहारों और अवमारों के लिए किसी भी तरह का कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

फाइल - 1368

दिनांक - 26/03/2021

शाखा पबंधक CANARA BANK EXHIBITION ROAD P के पत्र दिनांक 08/02/2021 के
आलीक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

SOUAMYINAYAK CONSTRUCTION PVT. LTD. 26-03-2021

DIRECTOR